[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं.8/2018-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सा0का0नि0.......(अ)- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी मालों का, जब भारत में आयात किया जाए तो उक्त वित्त अधिनियम की धारा 139 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर से छूट देती है।

(फा.सं.334/04/2018-टीआरयू)

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार